रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 18, 1970/आषाढ़ 27, 1892

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 18, 1970/ASADHA 27, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

MINISTRY OF DEFENCE

(Navy Branch)

New Delhi, the 2nd June 1970

S.R.O. 329.—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1964, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 22E dated the 19th February, 1964, namely:—

1. These Regulations may be called the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous (6th Amendment) Regulations, 1970.

2. In the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations 1964, in regulation 154, in sub regulation (2), after Explanation 1:—

(1) for the figure "2" appearing at the beginning of a fresh paragraph, the word and figure "Explanation 2" shall be substituted;

(2) for the figure "3" appearing at the beginning of another paragraph the following figure and heading shall be substituted, namely:-

"154A. Promotion to Lieutenant"

(Sd.) Illegible, Jt. Secy.

रक्षा मंत्रालय

(नौसेना विभाग)

नई दिल्ली, 2 जून 1970

का० नि० आ० 329 —नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 22 ई० तारीख 19 फरवरी, 1964 के साथ प्रकाशित नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और विविध विनियम, 1964 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात —

1. ये विनियम नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और विविध (छटा संशोधन) विनियम 1970 कहे जा सकेंगे।

2. नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और विविध विनियम 1964 में विनियम 154 में, उप विनियम (2) में, व्यवस्था 1 के पश्चात्—

(1) नए पैराग्राफ के आरम्भ में लिखित अंक "2" के स्थान पर अंक और अंक "व्याख्या 2" प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(2) एक अन्य पैराग्राफ के आरम्भ में विलिखित अंक "3" के स्थान पर निम्नलिखित अंक और शीर्षक प्रतिस्थापित किए जाएंगे —

"154ए लफ्टिनेन्ट के रूप में पदोन्नति"

(ह० ०) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970